

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षणरत क्षेत्राधिकारी श्री अरुण कुमार चौरसिया व प्रभारी निरीक्षक बखिरा से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में आज दिनांक 02.01.2021 को समय 09.40 बजे उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव मय हमराह आरक्षी मनोज कुशवाहा, आरक्षी मंजीत वर्मा, आरक्षी रोहित के साथ थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1- मालिया उर्फ मो0 अयाज पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज 2- कल्लन पुत्र अजीजुल्लाह निवासीगण दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को छराह नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1 – मालिया उर्फ मोहम्मद अयाज पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

2- कल्लन पुत्र अजीजुल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-**अभियुक्त मालिया उर्फ मोहम्मद अयाज का आपराधिक इतिहास-**

- 1- मु0अ0सं0 1518 / 2011 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 2- मु0अ0सं0 312 / 2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 3- मु0अ0सं0 520/2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 4- मु0अ0सं0 634 /2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 5- मु0अ0सं0 837 / 2014 धारा गुण्डा अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 6- मु0अ0सं0 929 / 2014 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 7- मु0अ0सं0 424 / 2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 8- मु0अ0सं0 374 / 2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 9- मु0अ0सं0 425 / 2015 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 10- मु0अ0सं0 443 / 2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 11- मु0अ0सं0 92 / 2016 धारा 8/ 20 एनडीपीएस अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 12- मु0अ0सं0 666 / 2016 धारा धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
- 13- मु0अ0सं0 167 / 2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुकूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

14- मु0अ0सं0 01 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

अभियुक्त कल्लन पुत्र अजीजुल्लाह का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 272 / 1999 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

2- मु0अ0सं0 441 2004 धारा 147/148/323/324/325/336/452/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

3- मु0अ0सं0 1518 2011 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

4- मु0अ0सं0 312/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

5- मु0अ0सं0 969 /2012 धारा 3/5ए/8 गोवधन निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

6- मु0अ0सं0 311 / 2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

7- मु0अ0सं0 857/ 2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

8- मु0अ0सं0 49/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

9- मु0अ0सं0 167/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

10- मु0अ0सं0 1 / 2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव, कां0 मनोज कुशवाहा, कां0 मंजीत वर्मा, कां0 रोहित

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.01.2021

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10-10-05 लीटर (कुल 25लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता क्रमशः 1- जितेन्द्र पुत्र रामविलास निवासी मठिया थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 2- पंचम पुत्र मिठाईलाल निवासी मुण्डेरवा शुक्ल थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 3- भुट्टी पुत्र लंगड निवासी नेतवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 03 / 2021,04 / 2021 व 05 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 द्वारा मारपीट मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1484 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 07683 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद के दौरान मे दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0स्वा0 केन्द्र मलौली मे भर्ती कराया गया तथा कालर को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को भेजा गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 जितन्द्र चौधरी, आरक्षी अरुण यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 128 वाहनो से 116100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 128 वाहनो से 116100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।